लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *229

16 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वैश्विक वस्त्र निर्यात

***229. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महामारी के बाद वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में परिवर्तन के संदर्भ में भारत के वैश्विक वस्त्र निर्यात, विशेषकर उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में निर्यात में वृद्धि करने के लिए अपनाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बुनाई और प्रसंस्करण इकाइयों में प्रौद्योगिकी उन्नयन और स्वचालन सहित घरेलू वस्त्र मूल्य शृंखला के आधुनिकीकरण के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेषकर पारंपरिक कारीगरों की आजीविका में ह्रास को देखते हुए स्वदेशी हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा वैश्विक वस्त्र निर्यात के संबंध में दिनांक 16.12.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *229 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): भारत के हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल का निर्यात वर्ष 2020-21 में 31.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 37.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो इसी अवधि के दौरान 100 से अधिक देशों में निर्यात वृद्धि के साथ 4.6% का सीएजीआर दर्ज करता है। महामारी के बाद के वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखला बदलावों के बावजूद, भारत का निर्यात निष्पादन अनुकूल बना हुआ है, जो कि रेडीमेड गारमेंट, कपास और मैनमेड फाइबर टेक्सटाइल्स, कालीन और हस्तशिल्प में प्रगति से प्रभावित है। सरकार ने घरेलू वस्त्र मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण करते हुए उच्च मूल्य सेगमेंट सहित संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है।

सरकार द्वारा एकीकृत वस्त्र अवसंरचना बनाने के लिए 4,445 करोड़ रुपये के परिव्यय से 7 पीएम मित्र पार्कों को मंजूरी दी गई है और एमएमएफ अपैरल, फैब्रिक और तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र हेतु पीएलआई योजना (10,683 करोड़ रुपये) को क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसे व्यापक निवेश को आकर्षित करने के लिए अक्टूबर 2025 में उदार बनाया गया है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (1,480 करोड़ रुपए) अनुसंधान एवं विकास, नवाचार और बाजार विकास को बढ़ावा देता है, जबकि समर्थ और सिल्क समग्र-2 (4,679.86 करोड़ रुपए) कौशल, प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षेत्रीय विकास को सशक्त करता है। संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा दिया गया था, जो 2022 तक वैध रहा।

एडवांस ऑथोराइजेशन, ईपीसीजी, आरओएससीटीएल और आरओडीटीईपी योजनाओं के माध्यम से निर्यात प्रतिस्पर्धा को और बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा के माध्यम से कार्यान्वित निर्यात संवर्धन मिशन को अनुमोदित किया है, जिसके माध्यम से ट्रेड फाइनेन्स, बाजार पहुंच, ब्रांडिंग और अनुपालन और निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना प्रदान करता है जो एमएसएमई को विशेष रूप से लाभ प्रदान करते हुए 100 प्रतिशत ऋण गारंटी प्रदान करता है।

(ग): मंत्रालय पारंपरिक कारीगरों की आजीविका को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जो कच्ची सामग्री, उन्नत करघा, सोलर लाइटिंग, वर्कशेड, डिजाइन इनोवेशन, विपणन सहायता, रियायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान करती है। हथकरघा संवर्द्धन सहायता के तहत, दिनांक 31.10.2025 तक, 32,248 बुनकरों को उन्नत करघा/ऐसेसरीज और 302 इलेक्ट्रॉनिक जैकर्ड प्राप्त हुए। इंडिया हैंडमेड ई-कॉमर्स पोर्टल और जेम पर लगभग 1.50 लाख बुनकरों और कारीगरों को शामिल करके बाजार तक पहुंच को और सशक्त किया गया है, जिससे सरकारी खरीदारों को सीधी बिक्री संभव हो पाती है।

हस्तशिल्प के लिए, एनएचडीपी और सीएचसीडीएस कौशल विकास, क्लस्टर विकास, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और विपणन सहायता के माध्यम से एंड-टू-एंड सहायता प्रदान करते हैं।

****